

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2021 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री नंदकिशोर पुत्र श्री रामावतार वैष्णव
एफबीओ मैसर्स:- केसरीनन्दन डेयरी, कुण्डेरा रोड, सिकराय जिला दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :-

दिनांक:- 10.11.2021



संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.03.2021 को दोपहर बाद 03:30 बजे मैसर्स-केसरीनन्दन डेयरी, कुण्डेरा रोड, सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री नंदकिशोर पुत्र श्री रामावतार वैष्णव उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त डेयरी का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता के सस्थान पर एक लाल रंग के प्लास्टिक आईस ब्लॉक्स में करीबन 30 किग्रा पनीर (30 पीस X करीब 1 किग्रा) आम जन को विक्रय हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जाँच हेतु 1 किग्रा पनीर खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ, सूखी एवं खाली स्टील की प्लेट में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 240 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1 किग्रा पनीर को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर-बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 20-20 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की

गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.- 2633 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2021 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.03.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.03.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने की खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./353/एक्ट/2021/529 दिनांक 28.04..2021 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./353/एक्ट/2021/529 दिनांक 28.04..2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने मे Butyro-refrecometer reading 44.8 प्राप्त हुई है। जो कि 40 से 44 के बीच होनी चाहिए थी। उक्त नमूने में फैट की मात्रा 39.90 प्रतिशत ही पाई गई है। जो कि 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए थी। उक्त कारणों से खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी ने कोई मिलावट नहीं की है। मेरे विरुद्ध एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा कम से कम जुर्माना लगाये जाने का निवेदन किया जाकर प्रकरण को ड्रॉप फरमाये जाने का निवेदन किया गया।



प्र० सं० : 21 / 2021 FSSA

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /353/एक्ट/2021/529 दिनांक 28.04.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री नंदकिशोर पुत्र श्री रामावतार वैष्णव एफबीओ मैसर्स:- केसरीनन्दन डेयरी, कुण्डेरा रोड, सिकराय जिला दौसा पर 20000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 10.11.2021 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया



क्रमांक /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री नंदकिशोर पुत्र श्री रामावतार वैष्णव एफबीओ मैसर्स:- केसरीनन्दन डेयरी, कुण्डेरा रोड, सिकराय जिला दौसा।

(आर. के. मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:- 10.11.2021

(आर. के. मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा